



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्न" - कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म

सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804

सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)

CENTRAL STATE FARM

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

CIN: U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com

संख्या: सी.एस.एफ/उद्यान/4/एन.एस.सी/सूरतगढ़/2025-26

दिनांक: -02.02.2026

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित फलों के बगीचे में वर्ष 2025-26 में लगने वाले फलों के निस्तारण हेतु निविदायें दिनांक 04/02/2026 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 17/02/2026 दोपहर 01.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है जो कि 17/02/2026 दोपहर 3.30 बजे खोली जायेगी। दिनांक 17/02/2026 दोपहर 2.30 बजे निविदा खोलने से पहले खुलि बोली अयोजित की जायेगी। निविदा भरने/खुलि बोली में भाग लेने के दौरान ऑनलाइन माध्यम से निविदा प्रपत्र राशि 236/- रुपये (200+18% GST) अथवा ई.एम.डी. राशि रु 5,000.00/- (रुपये पांच हजार मात्र) फार्म खाते में जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निविदा अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक फार्म के उद्यानिक विभाग कार्यालय से अथवा निगम की वेब साइट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

निविदादाता को अपने पेन कार्ड/टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार अथवा अन्य सबूत की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

■ नीलामी के लिए उपलब्ध बाग में फलों का विवरण निम्नवत है—

क.सं. (S.No.)	फलदार पेड़/पौधा/बाग का नाम (Name of Fruit Trees/Plants/Orchard)	लगभग क्षेत्रफल/पेड़ों की संख्या (Approximate Area/ No. of Trees)
1	बेर(उमरान, गोला आदि) (Ber (Umran, Gola etc.))	4.00 हेक्टेयर (Ha.)

प्रबंधक (उ.)

कृते निदेशक

ब्यौरा / PARTICULARS	विवरण / DETAILS
एनआईटी जारी करने की तिथि (Date of issue of NIT)	दिनांक 04.02.2026
ऑनलाइन बोली जमा करने की तिथि और समय (Date and time for submission of online bid)	से(From) 04.02.2026 सुबह(AM) 10:00 बजे तक(To) 17.02.2026 दोपहर(PM) 01:00 बजे
एनएससी, मुख्यालय, सूरतगढ़ में ऑनलाइन मोड में तकनीकी/वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय (Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ, Suratgarh)	17.02.2026 दोपहर(PM) 3.30 बजे
निविदा शुल्क (ई-निविदा पर ऑनलाइन जमा किया जाना है) Tender Fee (to be deposited online on e-Nivida)	रु.(Rs.) 236/- (रु.(Rs.) 200+18% जीएसटी(GST))
ईएमडी शुल्क (ई-निविदा पर ऑनलाइन जमा किया जाना है) EMD Fee (to be deposited online on e-Nivida)	रु.(Rs.) 5,000.00/-
संपर्क के लिए पता Address of communication	फार्म प्रमुख, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ (राज.) Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
संपर्क व्यक्ति (फोन नंबर और ईमेल के साथ) Contact Person (with Phone No. & Email)	डॉ. अनिल कुमार, व. उत्पादन अधिकारी मोबाइल- 08473805676 ईमेल:- ago.csfsuratgarh@gmail.com Dr. Anil Kumar, Sr. Production Officer Mob.- 08473805676 Email:- ago.csfsuratgarh@gmail.com श्री अमन कुमार, कनिष्ठ अधिकारी I (कृषि), मोबाइल:- 8178435683 ईमेल:- hortcsfsog@gmail.com Sh. Aman Kumar, Junior Officer I (Agriculture), Mob:- 8178435683 Email:- hortcsfsog@gmail.com

DECLARATION /घोषणा

मैं/हम..... मेसर्स..... के
मालिक/भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा निम्नानुसार पुष्टि व घोषणा करता हूँ/करते हैं:

I/We Proprietor/Partner/Authorized
signatory of M/S do hereby solemnly confirm and
declare as under:

- मेरी उपरोक्त उल्लेखित फर्म/नाम को केंद्र/राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी संगठन/विभाग/स्वायत्त निकाय/अनुसंधान संस्थान/निगम द्वारा उनकी निविदाओं/अनुबंधों में भाग लेने से रोक हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है/असूचीबद्ध नहीं किया गया है या मुकदमा नहीं चलाया गया है।

My above mentioned firm/name has not been blacklisted/delisted/prosecuted by any organization/department/autonomous body/research institute/corporation of the Central/State or Union Territory for debarment from participating in their tenders/contracts.

- मेरे विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

There is no criminal case pending against me in the Court of law.

- मैं/हम समझते हैं कि, यदि सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ द्वारा मुझे/हमें दिए गए फलों के निस्तारण के ठेके के किसी भी चरण में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई अनुबंध से सम्बंधित कोई भी जानकारी/दस्तावेज फार्म द्वारा गलत पाए जाते हैं तो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार फार्म मेरे /हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

I/We understand that, if any information/documents relating to the contract submitted by me/us at any stage of the contract for Disposal of Fruits awarded to me/us by Central State Farm, Suratgarh are found to be incorrect, the farm can take disciplinary action against me/us as per the terms and conditions of the contract.

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा की सामग्री मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

It is verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

जगह/Place: _____

हस्ताक्षर/Signature: _____

तारीख/Date: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/
Name of Authorized Signatory: _____

पता/Address: _____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: _____

निविदा की तकनीकी आवश्यकता / Technical Requirement of Tender

PARTICULARS / ब्यौरा	DETAILS / विवरण
Copy of GST Registration (If Available)/ जीएसटी पंजीकरण की प्रति (अगर हो तो)	
Copy of Pan Card/पैन कार्ड की प्रति	
Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड/वोटर आई डी/ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
Copy of Firm Letter Head (If Available)/ फर्म लेटर हेड की प्रति (अगर हो तो)	
Details of EMD Deposit and Tender Form Fee (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण (रु.)	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट: नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।	
Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual उसकी फर्म/व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में वचनबद्धता	

जगह / Place: _____

हस्ताक्षर / Signature: _____

तारीख / Date: _____

नाम / Name: _____

पता / Address: _____

फोन / मोबाइल नंबर / Phone/Mobile No: _____

ई-मेल आई.डी / Email Id: _____

वित्तीय बोली (FINANCIAL BID)

श्रीमान फार्म प्रमुख (The Farm Head),
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, (Central State Farm, Suratgarh),
श्रीगंगानगर, राजस्थान (Sriganganagar, Rajasthan)।

विषय/ Sub :- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फार्म के फल अनुबंध के पुरस्कार के लिए आपकी खुली निविदा सूचना। (Your open tender notice dated _____ for award of Fruit Contract of the farm for FY 2025-26.)

महोदय / Sir,

मैंने/हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 04.00 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित फार्म बाग से फलों की तुड़ाई और बिक्री के लिए सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ के फल अनुबंध के पुरस्कार से संबंधित निविदा के सभी आवश्यक नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। (I/We have carefully gone through all the essential terms & conditions of tender relating to awarding of Fruit contract of Central State Farm, Suratgarh for plucking and sale of fruits from farm orchards situated in an area of 04.00 hectare for FY 2025-26.)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने फल अनुबंध के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है और मैं अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा और फल अनुबंध दर के लिए मेरी/हमारी उच्चतम दरें निम्नानुसार हैं: (I declare that I have carefully read the terms & conditions of fruit contract and that I will comply with all the terms and conditions of the contract and offer my/our highest rates for the fruit contract rate are as under:)

क.सं. (S.No.)	फलदार पेड़/पौधा/बाग का नाम (Name of Fruit Trees/Plants/Orchard)	लगभग क्षेत्रफल/पेड़ों की संख्या (Approximate Area/ No. of Trees)	कुल राशी (Total Amount)
1	बेर(उमरान, गोला आदि) (Ber (Umran, Gola etc.))	4.00 हेक्टेयर (Ha.)	

मैं/हम राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, श्री गंगानगर (राजस्थान) में फल अनुबंध की सभी शर्तों से सहमत हूँ/हैं। (I/we agree with all the terms and conditions of fruit contract at Central State Farm Suratgarh, Shri ganganagar (Rajasthan) as laid down by National Seeds Corporation Ltd.)

जगह (Place): _____

हस्ताक्षर (Signature): _____

तारीख (Date): _____

नाम (Name): _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की आधिकारिक मुहर
(Official Seal of Authorised Signatories)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्न" - कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म

सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804

सीआईएन:यू74899डीएल1963जीओआई 003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)

CENTRAL STATE FARM

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com

संख्या: सी.एस.एफ/उद्यान/4/एन.एस.सी/सूरतगढ़/2025-26

दिनांक: -27.10.2025

30 अप्रैल, 2025 तक बाग के फलों की नीलामी हेतु वर्ष 2025-26 के लिए नियम व शर्तें

- टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक निविदादाता/बोलीदाता को निविदाएँ/बोली देने से पूर्व निविदा प्रपत्र राशि **236/- रुपये (200+18% GST)** व रुपये **5,000/- (पांच हजार मात्र) ई.एम.डी.** राशि के रूप में ई-निविदा की साइट पर जमा कराना होगा।
- फार्म द्वारा बाग के फलों के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 2 कार्य दिवस में ठेके की स्वीकृत रकम का 10 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT द्वारा फार्म में जमा करानी होगी।
- फार्म खाते का विवरण निम्न प्रकार है –
खाता संख्या : **34056542572**
IFSC संख्या : **SBIN0007774**
खाता धारक का नाम : **NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH**
बैंक का नाम : **State Bank of India, Suratgarh**
- फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नहीं हुई है तथा ठेका शर्तों के अनुसार संतोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जमा की गई धरोहर व प्रतिभूति राशियों पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।
- अगर सफल बोलीदाता/निविदादाता धरोहर राशि 2 कार्य दिवस में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवायी गयी ई.एम.डी. राशि 5,000/- (रुपये पांच हजार) फार्म द्वारा जब्त कर ठेका निरस्त किया जा सकता है जिसके संदर्भ में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
- केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेण्डर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें।
- खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न-भिन्न निम्नवत होगी:-

(अ) बेर

— 30 अप्रैल 2026

ज्यों ही फलों के चुनाव का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रातिशीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी।

9. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय-समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
10. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को देगा।
11. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों/सूखा/वर्षा/ओला/पाला आदि (प्राकृतिक या अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
12. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाव का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेंगे फार्म के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा पैकिंग ढुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
13. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुल फल फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जो इस प्रकार होंगे—

(क) बेर

— 02 विवण्टल

जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

14. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।
15. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाव/तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा तथा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चूँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
16. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के सक्षम अधिकारी को जमा की गई धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व अन्य चुकाई गयी किस्तें आदि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेशक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तान्तरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।

17. इस सौदे के लिए ₹ 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के 7 कार्य दिवस के अन्दर ही करना होगा।
18. खरीददार फार्म ऐरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास-फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबन्ध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजांची के पास जमा करानी होगी।
19. साधारणतया: फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5:00 बजे तक होगी। किसी भी भारी वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवाकर गेट पास लेना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से फलों को बिक्री हेतु बाहर ले जाने से भी पूर्व गेट पास लेना अनिवार्य है।
20. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने या अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्त्ताओं को कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
22. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है।
23. ठेकेदार या उसका कोई आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
24. **खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्त :-**
(अ) ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 100 प्रतिशत स्वीकृति पत्र सह कार्य आदेश मिलने के दो कार्य दिवस तक जमा करवाना होगा। यदि ठेकेदार पूरी राशि तुरन्त जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो इस संदर्भ में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
25. ठेकेदार को अपनी किस्ते समय पर व पूरी राशि जो अनुबन्ध में होगी एक मुश्त ही जमा करानी होंगी। किस्ते टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जायेंगी।
26. उक्त किस्ते 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज + 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के साथ देय तिथि से एक सप्ताह के अन्दर लेट पेमेंट के रूप में जमा की जा सकती है। यह अवधि सक्षम अधिकारी की मंजूरी से बढ़ाई जा सकती है। देय तिथि से एक सप्ताह या सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के तत्पश्चात् भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार को फल तोड़ने से पूर्व रोक दिया जावेगा। ठेके को रद्दकर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेवारी पर की जावेगी। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व उस समय तक जमा की गयी सभी राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
27. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।
28. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म क्षेत्र में जंगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।

29. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर प्रयास पौध संरक्षण फार्म द्वारा किये जावेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान अधिकारी द्वारा किये गये उपायों व प्रयासों के उपरान्त भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों को कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई आर्थिक छुट या राहत नहीं दी जावेगी ।
30. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफा आदि देने की पेशकश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
31. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा या छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निमार्ण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राशि ठेकेदार को फार्म में जमा करवानी होगी।
32. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
33. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पीए हुए मजदूरों को बाग के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
34. **मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause:** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियाँ कानून के न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।
35. नियम व शर्तों की अवहेलना करने पर ठेकेदार को फल तोड़ने से पूर्व रोक दिया जावेगा। ठेका निरस्त कर बाग की दोबारा नीलामी की जायेगी। उस हालत में धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि और उस वक्त तक जमा की गयी किस्म राशि व जो भी राशि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर लिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोलीदाता से वसूली जा सकती है जिसके संदर्भ में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

उपरोक्त सभी दिशा-निर्देश/नियम एवं शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिये हैं।

उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों के अंतर्गत कार्य नहीं होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

हस्ताक्षर

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

नाम.....

पता.....

फोन न0.....

ई-मेल आई.डी.....

बैंक खाते का विवरण